



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1893]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2009/कार्तिक 27, 1931

No. 1893]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2009/KARTIKA 27, 1931

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2009

New Delhi, the 18th November, 2009

का.आ. 2941(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खण्ड (vii क) और (xxiii क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 1055(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

S.O. 2941(E).—In exercise of the powers conferred by clause (vii a) and (xxiii a) of Section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 (61 of 1985) the Central Government, hereby makes the following amendment in the Notification S.O. 1055(E), dated 19th October, 2001, namely :—

सारणी के अंत में नोट 3 के बाद निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

In the Table at the end after Note 3, the following Note shall be inserted, namely :—

“(4) कॉलम 2 के दर्शाई गई संबंधित औषधियों के संबंध में सारणी के कॉलम 5 और कॉलम 6 में दर्शाई गई मात्राएं सम्पूर्ण मिश्रण अथवा किसी घोल अथवा किसी एक अथवा अधिक स्वापक औषधियों अथवा उस विशेष औषधि के मनःप्रभावी पदार्थों पर खुराक के रूप में अथवा आइसोमर्स, इस्टर्स, इथर्स और इन औषधियों के अवयव इस्टर्स, इथर्स और आइसोमर्स के अवयव सहित जहां भी ऐसे पदार्थ का अस्तित्व सम्भव है और न कि विशुद्ध औषधि अवयव के रूप में लागू होंगी।”

“(4) The quantities shown in column 5 and column 6 of the Table relating to the respective drugs shown in column 2 shall apply to the entire mixture or any solution or any one or more narcotic drugs or psychotropic substances of that particular drug in dosage form or isomers, esters, ethers and salts of these drugs, including salts of esters, ethers and isomers, wherever existence of such substance is possible and not just its pure drug content.”

[फा. सं. 662/33/2008-एन सी-1]

[F. No. 662/33/2008-NC-1]

विमला बक्शी, अवर सचिव

VIMLA BAKSHI, Under Secy.